शहरी अवसंरचना विकास निधि
मॉडल दिशानिर्देश

विषयसूची

1. भूमिका
1.1. शहरी अवसरंचना
1.2. यूआईडीएफ की उत्पत्ति
1.3. उद्देश्य
1.4. कार्यान्वयन एजेंसी
2. प्रमुख परिभाषाएँ
2.1. यूआईडीएफ लक्षित शहर
2.2. मानक आवंटन
2.3. पात्र गतिविधियाँ
2.4. नकारात्मक गतिविधियों की सूची
3. निबंधन एव शर्तें
3.1. राज्यों में नोडल विभाग और निधियों की सुलभता
3.2. पात्र राशि
3.3. लागत में वृद्धि
3.4. उपयोगकर्ता प्रभारों वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देना
3.5. चरणीकरण
3.6. परियोजनाओं का समेकन
3.7. यूआईडीएफ पर ब्याज दर
3.8. अर्थदन ब्याज
3.9. दस्तावेजीकरण/प्रतिभूति (सिक्योरिटी)
3.10. चुकौती/भुगतान
3.11. नॉन-स्टार्टर परियोजनाएं (एनएसपी)
4. परियोजना मूल्यांकन और स्वीकृतियां
4.1. परियोजना विवरण
4.2. प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं स्वीकृति
4.3. तकनीकी मूल्यांकन समिति
4.4. स्वीकृति समिति
4.5. परियोजनाओं की ग्राउंडिंग (जमीनी कार्य प्रारंभ) के लिए समय सीमा
4.6. परियोजनाओं को हटाना / वापस लेना
5. संवितरण
6. परियोजनाओं की निगरानी
7. परियोजनाओं का पूर्ण होना
7.1. परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी)
7.2. परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर)

1. भूमिका

1.1. शहरी अवसंरचना

भारत में शहरी अवसंरचना का तात्पर्य शहरों और नगरों के कार्यकलापों के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं और सेवाओं से है। इसमें सड़कें, पुल, जल आपूर्ति और जल निकासी और क्षेत्र की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। भारत में शहरी अवसंरचना की अवस्थिति एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कई शहर यातायात की भीड़, वायु और जल प्रदूषण और अपर्याप्त आवास और सार्वजनिक सेवाओं जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने शहरी अवसंरचना में सुधार और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं।

1.2. यूआईडीएफ की उत्पत्ति

2023-24 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने यूआईडीएफ की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित का उल्लेख किया:

"ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तरह, प्राथमिकता क्षेत्र में प्रयुक्त न हो पाए ऋण के उपयोग के माध्यम से एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना निर्माण हेतु किया जाएगा। राज्यों को शहरी अवसंरचना विकास निधि का उपयोग करते समय उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमें इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।"

1.2. उद्देश्य

शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य सार्वजनिक / राज्य एजेंसियों, नगर निगमों, टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित शहरी अवसंरचना के विकास कार्यों के लिए वित्त पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करना है। इसमें संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जा सकता है, जिससे व्यापक अवसंरचना सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं जो प्रत्येक शहरी क्षेत्र की उनकी खास जरूरतों को पूरी करेंगे।

1.3.कार्यान्वयन एजेंसी

राष्ट्रीय आवास बैंक **(https://nhb.org.in/)**

2.1 यूआईडीएफ लक्षित शहर

शहरी अवसंरचना विकास निधि का उपयोग असमान क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने हेतु, शहरी अवसंरचना विकास निधि नवीनतम जनगणना आंकड़ों (वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 9,99,999* जनसंख्या समूह वाले शहरों/शहरी स्थानीय निकायों पर ध्यान केंद्रित करेगी, इस प्रकार लगभग 40% शहरी आबादी इसके अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार, महानगरीय और मेगा शहरों को इसके कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर रखते हुए शहरी अवसंरचना विकास निधि क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित होने की क्षमता वाले मध्यम आकार के शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

क. 50,000 से 99,999 के बीच की आबादी वाले शहरों को टियर 3 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

ख. टियर 2 शहरों में वे शहर शामिल होंगे जिनकी आबादी 1 लाख से 9,99,999 के बीच होगी।

* 50,000 तक की आबादी वाले शहरी क्षेत्र आरआईडीएफ के अंतर्गत आते हैं।

2.2 मानक आवंटन

रा.आ. बैंक शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पात्र शहरों/शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या के आधार पर संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधि का मानक आबंटन करेगा आवश्यकता अनुसार रा.आ. बैंक द्वारा पात्र शहरों/शहरी स्थानीय निकाय की सूची सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग साझा की जाएगी।

नवीनतम जनगणना आंकड़ों (वर्तमान में 2011 की जनगणना) के अनुसार शहरों में शहरी आबादी के आधार पर मूल निधि का राज्यवार आबंटन किया जाएगा, जैसे:

$$\text{राज्यवार मूल निधि का अनुपात} = \frac{\text{राज्य में पात्र नगरों या शहरों में शहरी जनसंख्या}}{\text{देश के पात्र नगरों या शहरों में कुल जनसंख्या}}$$

रा.आ.बैंक श्रृंखला/भाग (निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित) के राज्यवार मानकीय आबंटन को अंतिम रूप देने पर जो कि राज्य की समग्र ऋण लेने की सीमा की अधीन होगी, इसके संबंध में रा. आ. बैंक राज्य सरकारो को सूचित करेगा। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक विशेष वर्ष/श्रृंखला (भाग) के तहत परियोजनाओं को वरीयता दें और मंजूरी के लिए पात्र गतिविधियों पर डीपीआर के साथ उपयुक्त प्रस्ताव रा.आ.बैंक को प्रस्तुत करें।

प्रत्येक राज्य द्वारा मानकीय आबंटन के उपयोग की मध्यावधि समीक्षा हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी और अप्रयुक्त निधि का अंतर-राज्यीय पुनः आवंटन किया जाएगा अर्थात राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित निधि में से जो अप्रयुक्त निधि रह जाएगी, उन्हें उन राज्यों से दूसरे राज्यों को उपयोग हेतु आबंटित कर दिया जाएगा। अप्रयुक्त निधियों का पुनः आबंटन ऐसे राज्यों की जनसंख्या के समान मानदंडों पर आधारित होगा और प्रमुख मापदंडों, जैसे प्रारंभिक मानकीय आबंटन, राज्यों द्वारा प्रस्तुत लंबित व्यवहार्य परियोजनाओं की मात्रा और मूल्य स्वीकृत राशि का उपयोग स्तर,

उपलब्धता और ऋण लेने की सीमा पर निर्भर करेगा। इस प्रकार का पुनः आवंटन प्रति राज्य न्यूनतम 5 करोड़ रुपये किया जा सकता हैय उत्तर पूर्व (सिक्किम सहित) और पहाड़ी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए यह 1 करोड़ रुपये होगी।

2.2. पात्र गतिविधियाँ

शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए पात्र गतिविधियां आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मिशनों और कार्यक्रमों से जुड़ी होंगी। इनमें सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, नालियों/ बरसाती जल निकासी नालियों के निर्माण और सुधार आदि जैसी बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। प्रभाव उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

पात्र गतिविधियों की सूची इस प्रकार होगी:

- जलापूर्ति नेटवर्क (नया/विस्तार/जीर्णोद्धार)
- नालियों / बरसाती पानी की नालियों का निर्माण एवं सुधार
- सीवरेज नेटवर्क (नया/विस्तार/जीर्णोद्धार)
- सीवेज उपचार संयंत्र - माध्यमिक/तृतीयक व्यवस्था
- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित और प्रबंधित भुगतान और उपयोग योग्य शौचालयों की व्यापक परियोजनाएं
- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र (नया/विस्तार)
- पुराने कूड़ा स्थल को समाप्त करने से प्राप्त भूमि का व्यापक विकास
- सभी उपयोगिताओं को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाने के प्रावधान के साथ क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत सड़के (रखरखाव कार्यों को छोड़कर)
- ओवर ब्रिज, ग्रेड सेपरेटर, अंडरपास
- विद्युत / गैस शवदाह गृह
- क्षेत्र से जुड़ी व्यापक विकास परियोजनाएँ
  - भीड़-भाड़ कम करने के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना
  - विरासत संरक्षण
  - सार्वजनिक परिवहन के निकट सघन, मिश्रित उपयोग वाले विकास के निर्माण के लिए पारगमन उन्मुख विकास
  - ग्रीनफील्ड विकास के लिए नगर नियोजन योजनाएं
  - खुले जिम वाले पार्क जिनमें कोई बड़ा निर्माण कार्य शामिल न हो

2.3. नकारात्मक गतिविधियों की सूची

निधि का उपयोग किसी भी प्रकार के रखरखाव कार्यों या प्रशासनिक/स्थापना व्ययों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आवास, बिजली और दूरसंचार, बस और ट्राम जैसे परिवहन, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान शहरी अवसंरचना विकास निधि के कार्यक्षेत्र से बाहर रहेंगे।

3. निबंधन एव शर्तें

3.1 राज्यों में नोडल विभाग और निधियो की सुलभता

शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत ऋण भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) द्वारा अभिशासित होगा, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार और वित्तीय संस्थानों से राज्य की उधार लेने की सीमाओं के भीतर इसलिए संबंधित राज्यों का वित्त विभाग शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत सभी गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी होगी।

शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत निधियां नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं दोनों के लिए उपलब्ध होगी। राज्य सरकारें/राज्य सरकार प्रायोजित संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत संवितरित निधियों का उपयोग नए पूंजी निवेश के लिए किया जाए और मौजूदा ऋणों की चुकौती/भुगतान के लिए इनका उपयोग न हो इस आशय का एक वचनपत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा।

3.2. पात्र राशि

शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र ऋण राशि परियोजना के आकार और परियोजना की भौगोलिक स्थिति पर आधारित होगी। शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का प्रतिशत जिस पर विचार किया जा सकता है, वह इस प्रकार होगा:

परियोजना की राशि	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के अलावा	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य
5 - 10 करोड़ *	90%	95%
>10 -50 करोड़	85%	90%
>50 -100 करोड़	75%	85%
*पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 1-10 करोड़ रुपये		

पूर्व मूल्यांकन व्यय जैसे कि परियोजना की तैयारी पर किए गए खर्च, तकनीकी सर्वेक्षण की लागत आदि हेतु अंततः स्वीकृत शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण के 0.5% तक खर्च करने की अनुमति है, बशर्ते कि इसे आउटसोर्स किया जाए।

सेंटेज शुल्क (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) की अनुमति है, बशर्ते कार्य राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाए।

“परियोजना के तहत सिविल कार्यों की अधिकतम 3% सीमा तक "आकस्मिक व्यय की अनुमति है।

3.3. लागत में वृद्धि

राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि अगर लागत में कोई वृद्धि होती है तो वे इसे अपने संसाधनों से पूरा करें। कार्यक्षेत्र या परियोजना मापदंडों में कोई भी बदलाव स्वीकृति प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

3.4. उपयोगकर्ता प्रभारों वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देना

राज्यों को उन परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि का न्यूनतम 5% उपयोग करने का प्रयास करना होगा जिनमें उपयुक्त उपयोगकर्ता शुल्क लागू है या ऐसी परियोजनाएं जो कम से कम अपने परिचालन और अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हैं रा. आ. बैंक ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी को प्राथमिकता देगा।

3.5. चरणीकरण

स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का चरण 2-5 वर्षों तक का है, जो परियोजना के प्रकार और राज्य के स्थान के अनुसार अलग-अलग होगा। सामान्य परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष तक की अधिकतम चरण अवधि के विपरीत, उत्तर पूर्व (सिक्किम सहित) और पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) की परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष तक की चरण अवधि की अनुमति है।

3.6. परियोजनाओं का समेकन

राज्य सरकार छोटे आकार की परियोजनाओं को एक ही विस्तुत परियोजना रिपोर्ट में समेकित (क्लब कर) कर सकती है। विस्तुत परियोजना रिपोर्ट का न्यूनतम आकार और अधिकतम आकार क्रमश: 5 करोड़ रुपये (उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 1 करोड़ रुपये) और 100 करोड़ रुपये होगा।

3.7. यूआईडीएफ पर ब्याज दर

बैंकों द्वारा जमा की गई जमा राशि और शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत ऋण पर ब्याज दरें समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाएंगी। फिलहाल शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण पर ऋण दर बैंकों द्वारा निधि जमा करने के समय प्रचलित बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, यानी बैंक दर घटा 1.5 प्रतिशत (बैंकों द्वारा धन जमा करने की तिथि के अनुसार) ।

3.8. अर्थदंड ब्याज

अगर राज्य सरकार निर्धारित तारीख पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती है, तो वह मूल राशि पर लागू दर से अतिदेय ब्याज पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। स्वीकृति प्राधिकारी को मामले की योग्यता के आधार पर इस तरह के अतिरिक्त ब्याज को माफ करने के लिए अधिकृत किया गया है।

3.9. दस्तावेजीकरण/प्रतिभूति (सिक्योरिटी)

शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत सभी अनुमोदित ऋण राज्य सरकार द्वारा निष्पादित और भारतीय रिजर्व बैंक / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ पंजीकृत है जो रा.आ.बैंक को मूलधन के चुकौती/भुगतान और/या ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार का प्रमुख बैंकर है।

i. प्रत्येक संवितरण हेतु निर्धारित प्रारूप में सावधि वचन पत्र (टीपीएन) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

ii. दस्तावेजीकरण उद्देश्यों हेतु स्वीकृति के लागू नियम और शर्तें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की जाएंगी।

3.10. चुकौती/भुगतान

राज्य सरकार द्वारा रा. आ. बैंक द्वारा निर्धारित चुकौती/भुगतान समय सारणी के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋणों का भुगतान करना होगा।

ऋण आहरण की तारीख से सात साल के भीतर पांच समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें दो साल की ऋण अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।

किसी माह के दौरान किसी भी तारीख को देय किश्तें अगले माह की पहली तारीख को देय होंगी। ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान भी ब्याज देय राज्य सरकार को तिमाही के अगले महीने के पहले दिन ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि मूलधन/ब्याज की देय तिथि शनिवार/रविवार छुट्टी होती है, तो देय राशि पिछले व्यावसायिक कार्य दिवस पर देय होगी।

3.11. नॉन-स्टार्टर परियोजनाएं (एनएसपी)

एक परियोजना को नॉन-स्टार्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि इसे मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर इसका जमीनी कार्य शुरू नहीं होता है एक परियोजना को केवल तभी जमीनी माना जाएगा जहां कार्य आदेश जारी किया गया है और भौतिक कार्य शुरू हो गया है।

परियोजना के संबंध में जारी संपूर्ण संग्रहित अग्रिम राशि को परियोजना के एनएसपी बनते ही समायोजित/वापसी कर लिया जाएगा। यदि मंजूरी पत्र की तारीख से 18 महीने के भीतर परियोजना का जमीनी कार्य आरंभ नहीं होता है तो मंजूरी समाप्त हो जाएगी।

4. परियोजना मूल्यांकन और स्वीकृतियां

4.1. परियोजना विवरण

शहरी अवसंरचना विकास निधि वित्त पोषण परियोजना-आधारित ऋण पर आधारित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी और वित्तीय मापदंडों, आरेख, मानचित्र आदि युक्तः विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना शामिल है।

संवितरण को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न शहरी अवसंरचना मिशनों के साथ जोड़ाध्पूरक किया जा सकता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत मौजूदा तंत्र का उपयोग विभिन्न राज्यों में पात्र परियोजनाओं के चयन, तकनीकी वित्तीय व्यवहार्यता मूल्यांकन, निगरानी के साथ-साथ जमीन पर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अत्यधिक जरूरी वित्त पोषण की आवश्यकता के लिए किया जाएगा।

4.2. प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं स्वीकृति

राज्य सरकारें निर्धारित प्रारूप के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजना सारांश तैयार करने के लिए जांचसूची का संदर्भ ले सकती हैं। (जांचसूची और प्रारूप सामान्य नियमों और शर्तों के साथ अलग से सूचित किए जाएंगे)।
पूंजीगत प्रकृति की चिन्हित मदें ही शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। लागत अनुमानों का आकलन करते समय. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुमान मौजूदा वर्ष/बाजार दरों के लिए सूचीबद्ध दरों की नवीनतम दर सूची (एसओआर) के अनुसार हैं।

4.3. तकनीकी मूल्यांकन समिति

राज्य सरकार शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर, रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत कार्यान्वयन योजनाओं के साथ परियोजना प्रस्तावों के लिए विस्तुत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा 3-5 वर्ष होगी। तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा -

- संबंधित का. नि./उप प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)
- परियोजना वित्त विभाग, रा.आ.बैंक विभागाध्यक्ष
- सरकारी योजना विभाग, रा.आ. बैंक, (शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए नोडल विभाग)
- बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ (न्यूनतम 2)

रा.आ.बैंक के बोर्ड द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों को सीपीडब्ल्यूडी, सीपीएचईईओ आदि के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा। परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के बाद, पात्र परियोजना प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए संबंधित स्वीकृति समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.4. स्वीकृति समिति

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित 50 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि वाले योग्य परियोजना प्रस्तावों पर बोर्ड की एक उप-समिति, परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

- रा. आ. बैंक बोर्ड में भा.रि.बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक
- रा. आ. बैंक बोर्ड में भारत सरकार (वित्त सेवाएं विभाग) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक
- रा. आ. बैंक बोर्ड में भारत सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक
- प्रबंध निदेशक, रा. आ. बैंक
- बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक

पीएससी की बैठक के लिए कोरम 3 सदस्यों का होगा।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित 50 करोड़ रुपये तक की शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण राशि रा.आ. बैंक की मौजूदा कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली क्रेडिट और मूल्य निर्धारण समिति (ईडीसीपीसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता वर्तमान में क्रेडिट कार्यों की निरीक्षण करने वाले कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है और इसकी अध्यक्षता उप प्रबंध निदेशक (प्रस्तावित) द्वारा की जा सकती है।

4.5. परियोजनाओं की ग्राउंडिंग (जमीनी कार्य प्रारंभ) के लिए समय सीमा

परियोजनाओं की ग्राउंडिंग (जमीनी कार्य प्रारंभ) के लिए समय सीमा नीचे दी गई है:

- प्रशासनिक अनुमोदन (एए) प्रशासनिक स्वीकृति - से पूर्व या प्रशासनिक स्वीकृति पर स्वीकृति की तारीख से 1 महीने के भीतर

- तकनीकी स्वीकृति (टीएस) तकनीकी स्वीकृति से पूर्व या तकनीकी स्वीकृति पर स्वीकृति की तारीख से 3 महीने के भीतर
- निविदा स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के भीतर।
- कार्य आदेश जारी करना से 9 महीने के भीतर ।
- स्वीकृति की तारीख परियोजना की ग्राउंडिंग स्वीकृति की तारीख से 12 महीने के भीतर।

4.6. परियोजनाओं को हटाना/वापस लेना

यदि स्वीकृत परियोजनाएं स्वीकृति की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर शुरू नहीं की जाती हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालय विभागाध्यक्ष, सरकारी योजना विभाग, रा.आ.बैंक (शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए नोडल विभाग) से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को हटा लिया गया/वापस लिया गया मान सकता है।

हटाने/वापस लेने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत संवितरित संग्रहित अग्रिम राशि सहित कोई भी बकाया राशि वसूला/समायोजित किया जाएगा।

5. संवितरण

राज्य सरकारों को निर्धारित औपचारिकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद निर्धारित प्रारूप में संवितरण हेतु आवेदन रा.आ. बैंक को भेजनी होगी।

स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने पर परियोजना ऋण के शुरुआती 20% की अग्रिम राशि स्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संवितरित की जाएगी। उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्य अग्रिम राशि के तौर पर 30% ऋण के लिए पात्र होंगे। रा. आ. बैंक अग्रिम राशि के रूप में दिए गए परियोजना ऋण के शुरुआती 20 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के मामले में 30%) को छोड़कर, प्रतिपूर्ति आधार पर निधि प्रदान करेगा।

शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्य सरकार की ऋण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) द्वारा अभिशासित होता है जिसके तहत भारत सरकार एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार को ऋण लेने की सहमति देती है और अनुच्छेद 293(1) के तहत ऋण लेने की सीमाएं राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत ऋण लेने की सीमा की मजूरी प्राप्त होने के बाद शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजनाओं के तहत संवितरण किया जाएगा, साथ ही एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि कोई सीमा तय नहीं की गई है / अनुच्छेद 293(1) के तहत ऋण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

6. परियोजनाओं की निगरानी

राज्य सरकारों के पास शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की निगरानी के लिए अपना स्वयं का तंत्र होना चाहिए जिसमें परियोजना कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट (पीआईपीआर) को रा. आ. बैंक को समय-समय पर प्रस्तुत करना शामिल है।

रा.आ.बैंक स्थलेत्तर निरीक्षण और रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले स्थलीय निरीक्षण दोनों के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। अंतिम संवितरण से पहले कम से कम एक बार स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य है।

रा.आ.बैंक द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की जियो-टैग की गई तस्वीरों को समय-समय पर अपलोड करने के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत परियोजनाओं की प्रगति की भी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

7. परियोजनाओं का पूर्ण होना

7.1. परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी)

राज्य सरकार को परियोजना के संबंध में भौतिक कार्य पूरा होने पर तुरंत रा. आ. बैंक को एक परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्राप्त होने पर परियोजना को पूरा माना जाएगा।

7.2. परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर)

राज्य सरकारों को निर्धारित प्रारूप में पीसीसी की तारीख से 6 महीने के भीतर रा. आ. बैंक को एक विस्तृत परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर) प्रस्तुत करना होगा।

प्रस्ताव में समान प्रकृति की कई इकाइयों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के मामले में कार्यान्वयन प्रभाग के आधार पर ब्लॉक/तालुका/जिले में एक से अधिक परियोजनाओं के लिए एक एकल पीसीआर प्रस्तुत किया जा सकता है प्रासंगिक भौतिक, वित्तीय विवरण के साथ-साथ परियोजनाओं से परिकल्पित लाभों को एक अनुलग्नक के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

शहरी अवसंरचना विकास निधि दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन, निधि का समय पर उपयोग और इनका अनुपालन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संबंधित राज्यों को शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत निधियों का आवंटन पीसीसी और पीसीआर पर अनुपालन के आधार पर तय किया जाएगा।

****